

कार्यालय कलेक्टर, जिला हरदा (मध्यप्रदेश)

अधिसूचना


क्रमांक 424 / स्थापना / 2021

हरदा दिनांक 11/01/2021

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/1999/1/4 दिनांक 30.03.1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परीपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक चार के नियम -8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला हरदा में वर्ष 2021 के लिए निम्न दिनांक को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है:-

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहारा का नाम जिसके लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
1	14.01.2021	गुरुवार	मकर संक्रांति/पोंगल
2	23.08.2021	सोमवार	कजलिया (भुजरिया)
3	06.11.2021	शनिवार	भाईदूज


यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा ।


(संजय गुप्ता)
कलेक्टर
जिला-हरदा

पृ0क्रमांक 425 / स्थापना / 2021
प्रतिलिपि:-

हरदा दिनांक 11/01/2021

- 1 सचिव, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2 सचिव, म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3 सचिव, राजस्व मंडल म.प्र.भोपाल / महालेखागार म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4 सचिव, म.प्र.लोक सेवा आयोग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 5 आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 6 नियंत्रक केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आगामी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु ।
- 7 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 8 कलेक्टर जिला..... म.प्र.की ओर सूचनार्थ ।
- 9 विभाग प्रमुख सर्व जिला हरदा की ओर सूचनार्थ ।
- 10 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सर्व जिला हरदा की ओर सूचनार्थ ।
- 11 जिला जनसंपर्क अधिकारी हरदा की ओर सूचनार्थ स्थानीय समाचार पत्र में प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित ।


कलेक्टर
जिला-हरदा